भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2722 का उत्तर

मध्य प्रदेश में लंबित निर्माणाधीन परियोजनाएं

2722. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में निर्मित की गई/निर्माणाधीन रेल लाइनों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त लाइनों का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था;

(ग) काफी समय से लंबित चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा से सिंगरौली लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और इसमें हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या योजना प्रस्तावित है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

मध्य प्रदेश में लंबित निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में डॉ. राजेश मिश्रा के अतारांकित प्रश्न सं. 2722 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेल परियोजनाएं राज्य-वार/क्षेत्र-वार नहीं बल्कि जोन-वार स्वीकृत की जाती हैं क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली 81,797 करोड़ रु. की लागत पर 5,345 किलोमीटर लंबाई की 28 रेल परियोजनाएं (08 नई लाइनें, 02 आमान परिवर्तन और 18 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 1,952 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2024 तक 36,898 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं:-

- **38,643 करोड़ रु. की लागत पर कुल 1,962 किलोमीटर लंबाई की 08 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 468 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 11,091 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।**
- **9,297 करोड़ रु. की लागत पर कुल 809 किलोमीटर लंबाई की 02 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, जिनमें से 380 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक 5,220 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।**
- **33,857 करोड़ रु. की लागत पर कुल 2,574 किलोमीटर लंबाई की 18 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 1,104 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च 2024 तक 20,587 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।**

रेल परियोजनाओं का निधि आबंटन और व्यय सहित परियोजना-वार और क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2014 से मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन तथा तदनुरूपी कमीशनिंग निम्नानुसार है:

बजट आबंटन:

अवधि	औसत परिव्यय	वर्ष 2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	632 करोड़ रु./वर्ष	-
2023-24	13,607 करोड़ रु.	21.5 गुना
2024-25	14,738 करोड़ रु.	23 गुना

कमीशनिंग:

अवधि	औसत कमीशनिंग	वर्ष 2009-14 की कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	145 कि.मी. (29 कि.मी./वर्ष)	-
2014-24	2249 कि.मी. (224.9 कि.मी./वर्ष)	7.5 गुना से अधिक

यद्यपि परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे, राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। राज्य सरकार मुआवजा राशि का आकलन करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर, रेलवे मुआवजे की राशि संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास जमा करती है।

रीवा-सिंगरौली खंड ललितपुर-सिंगरौली नई लाइन (541 किलोमीटर) परियोजना का एक हिस्सा है जिसमें रीवा से गोविंदगढ़ खंड कमीशन कर दिया गया है और शेष खंडों में जहां भूमि उपलब्ध है, कार्य शुरू कर दिया गया है। 2024-25 के दौरान, इस परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

रेल परियोजना(परियोजनाओं) का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना(परियोजनाओं) स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना(परियोजनाओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:- (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना।

*****